न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2017-00173RAAJodhpur2017-143RTA225 Smt. Kali devi ors Vs Babulal etc
2017-00147RRAJodhpur2017-146RTA225 Anadaram ors Vs Babulal etc

01. श्रीमती काली पत्नि श्री पुखाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 01, सॉखलो का बेरा, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
02. बगदाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 01, सॉखलों का बेरा, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
03. कमली पुत्री श्री पुखाराम पत्नि श्री नारायणराम जी, जाति माली भाटी, निवासी रेल्वे स्टेशन, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
04. पानी पुत्री श्री पुखाराम पत्नि कोजाराम जी जाति माली निवासी चुन्ना पटीया बेरा पुलिस थाना के पास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
05. हापुराम पुत्र श्री जुगाराम जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 01 सॉखलों का बेरा, पीपाड शहर जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. बाबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी भाकरी की ढाणी, सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. अणदाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
3. धीराराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
4. सीयाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
5. जोधाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
6. भईयाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
7. राजूराम पु स्वर्गीय लाबूराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण– सिन्धीपुरा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
8. भींयाराम पुत्र श्री गोपाराम
   जाति माली, निवासी– चौलावतों का बेरा, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
9. पेमाराम पुत्र श्री धन्नाराम
10. भीयाराम पुत्र श्री अल्फूराम
11. उगमाराम पुत्र श्री अल्फूराम
12. खेमाराम पुत्र श्री अल्फूराम
13. श्रीमती मथुरादेवी पत्नि श्री अल्फूराम
14. पपूदेवी पुत्री श्री अल्फूराम
    सभी जातियान माली निवासीगण सिन्धीपुरा, हाल निवासी न्यू बस स्टेण्ड के सामने बिरमबाडी बेरा पीपाड शहर जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15. रजाक खा पुत्र गनी खाँ
16. इब्राहिम खाँ पुत्र गनी खाँ
    जातियान सिन्धी (मुसलमान) निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
17. डुंगरराम पुत्र श्री पुखाराम जाति माली, निवासी हथलाई नाडी, सिंधीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
18. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 430/2016 बाबुलाल बनाम अणदाराम इत्यादि

उपस्थित--
श्री शेरसिंह राठौड़, अधिवक्ता--अपीलाण्ट्स
श्री प्रकाश भाटी, अधिवक्ता--रेस्पोडेंट संख्या दो से सात
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता--रेस्पो. संख्या बारह व तेरह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता--रेस्पो. संख्या अठारह

(2) 2017-00147RRAJodhpur2017-146RTA225 Anadaram ors Vs Babulal etc

1. अणदाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
2. धीराराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
3. सीयाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
4. जोधाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
5. भईयाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लाबूराम
6. राजूराम पु स्वर्गीय लाबूराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण-- सिन्धीपुरा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. बाबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी भाकरी की ढाणी, सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. श्रीमती काली पत्नि श्री पुखाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 01, सॉखलो का बेरा, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
3. बगदाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 01, सॉखलों का बेरा, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
4. डुंगरराम पुत्र श्री पुखाराम जाति माली, निवासी हथलाई नाडी, सिंधीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
5. कमली पुत्री श्री पुखाराम पत्नि श्री नारायणराम जी, जाति माली भाटी, निवासी रेल्वे स्टेशन, पीपाड शहर जिला जोधपुर।
6. पानी पुत्री श्री पुखाराम पत्नि कोजाराम जी जाति माली निवासी चुन्ना पटीया बेरा पुलिस थाना के पास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
7. हापुराम पुत्र श्री जुगाराम
8. भींयाराम पुत्र श्री गोपाराम
   जाति माली, निवासी– चौलावतों का बेरा, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
9. पेमाराम पुत्र श्री धन्नाराम
10. भीयाराम पुत्र श्री अल्फूराम
11. उगमाराम पुत्र श्री अल्फूराम
12. खेमाराम पुत्र श्री अल्फूराम
13. श्रीमती मथुरादेवी पत्नि श्री अल्फूराम
14. पंपूदेवी पुत्री श्री अल्फूराम
    सभी जातियान माली निवासीगण सिन्धीपुरा, हाल निवासी न्यू बस स्टेण्ड के सामने बिरमबाडी बेरा पीपाड शहर जिला जोधपुर।
15. रजाक खा पुत्र गनी खाँ
16. इब्राहिम खाँ पुत्र गनी खाँ
    जातियान सिन्धी (मुसलमान) निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
17. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 430/2016 बाबुलाल बनाम अणदाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री प्रकाश भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री, शेरसिंह राठौड अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या दो तीन, पांच से सात
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या बारह व तेरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या सत्रह

नि र्ण य

दिनांक : 20 मार्च 2025

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 430/2016 बाबुलाल बनाम अणदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत क्रमशः दिनांक 12 दिसंबर 2017 एवं 07 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों के पक्षकारान्, विषय–वस्तु समान होने एवं दोनो अपीले समान निर्णय के विरूद्ध होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग–अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नं. 697 रकबा 07.13 बीघा मौजा सिंधीपुरा तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से अठारह की खातेदारी भूमि खसरा नं. 701, 702, 704 में से होते हुए खसरा नंबर 698, 705, 696 में सें मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। दोनो अपीलों के अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश पारित कर उनकी खातेदारी भूमि में सें नवीन रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण के खेत खसरा नंबर 701, 702, 704, 698, 705, 696 की माठ के बीच में प्रत्यर्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 697 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आया हुआ है तथा यहां पर किसी प्रकार का रास्ता चलता है। अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 701 व 702 के बीच में पत्थरों की दिवार निकाली हुई है जो कि बहुत ही पुरानी है तथा मौके पर किसी प्रकार के रास्ते के आलामात मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में विधि विरुद्ध तरीके से तैयार की गई है। प्रत्यर्थी सख्या 01 के पास आवागमन हेतु मौके पर खसरा नम्बर 688. 691, 692, 693, 694 एवं खसरा नम्बर 687, 686, 635 से चलायमान कदीमी रास्ता उपलब्ध है, जिससे वह आवागमन करता है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधिक सुविधाजनक रास्ता पहले से ही उपलब्ध है एवं नये रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के तहत नये रास्ते के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किय बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि दोनो अपीलें स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट्स संख्या ग्यारह व बारह के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि प्रत्यर्थी सख्या 01 के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नम्बर 688, 691, 692, 693, 694 एवं खसरा नम्बर 687, 686, 635 में से चलायमान कदीमी रास्ता मौके पर उपलब्ध है तथा इसी रास्ते से रेस्पोडेंट संख्या एक आवागमन करता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 29.06.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि भू-अभिलेख निरीक्षक पीपाड़ शहर द्वारा मौका जांच करते वक्त रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उक्त विकल्प सहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों की जांच किये बिना केवल रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा चाहे गये रास्ते बाबत ही मौका फर्द तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब में भी उक्त विकल्प को सुझाया गया है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के जवाब पर गौर किये बिना तहसीलदार भू-अभिलेख निरीक्षक पीपाड़ शहर अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 460/2016 बाबुलाल बनाम अणदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2017 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की मय दूरी उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका फर्द तलब कर उस उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए निकटतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर